2/4/25 पत्रावली पेश श्री नवीन पराशर उप
नवीन अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय
राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 10/2/25
की छाया प्रति पेश कर कथन किया कि प्रकरण
में मा. न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी
किया है जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम
गलत लिखा है अतः अपीलार्थी की कार्यवाही
अपीलार्थी की पुनः अपील पेश करने की
अनुमति के साथ रोक दी जावे। इस पर
अपीलार्थी ने कथन से सहमत होते हुए
अपीलार्थी की अपील पुनः अपील पेश करने
की अनुमति के साथ रोक दी जाती है।
आदेश की प्रति एवं रिकार्ड आवश्यक कार्यवाही
के लिये पत्रावली सीपीसी कुमार
चौधरी एवं नवीन के समक्ष ही पेश करें
तहसील नवलगढ़ शामिल किया जाए।

(डॉ. आरुणि)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं